न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क्र. निगरानी-5338/2018/छतरपुर/भू.रा.

श्री प्रलेन्द्र सिंह धाकड़ द्वारा आज 30-8-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-9-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 30-8-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. श्रीमती गौरीबाई पत्नी स्व. श्री धनुआ कुशवाह
2. श्री रामलाल तनय स्व. श्री धनुआ कुशवाह
3. श्री घनश्याम तनय स्व. श्री धनुआ कुशवाह
4. श्री भैयादीन तनय स्व. श्री धनुआ कुशवाह
5. श्री रमेश तनय स्व. श्री धनुअ कुशवाह
6. सुरेन्द्र, शैलेन्द्र, कु. पिंकी तनय स्व. श्री धनुआ कुशवाह, तीनों नाबालिग द्वारा सरपरस्त दादी श्रीमती गौरीबाई पत्नी स्व. श्री धनुआ कुशवाह, समस्त निवासीगण ग्राम ललौनी तह. व जिला छतरपुर म.प्र.

.............निगरानीकर्तागण

बनाम

म.प्र. शासन ....अनावेदक

प्रलेन्द्र सिंह धाकड़
20/8/18

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 08.11.2005 पारित द्वारा न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर महोदय सागर संभाग सागर (म.प्र.) के प्र.क. 527/अ/6/वर्ष 2001-02 से दुखित होकर

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य-

कार्यालय महाधिवक्ता राजस्व मंडल
आवक क्र. 181
पृष्ठ संख्या 01 ... 19
हस्ताक्षर व नाम 30/8/18

1. यहकि, संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि भूमि सर्वे नं 143 एवं 144 स्थित ग्राम अमानगंज तह. व जिला छतरपुर के राजस्व रिकॉर्ड में वर्ष 1992-93 से निरंतर वर्ष 1956-57, 1958-59, 1960-61 से संवत् 2020 तथा उसके बाद भी स्व. धनुआ तनय सरिता काछी के नाम भूमि स्वामी स्वत्व व अधिपत्य पर दर्ज थी जिसे बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हल्का पटवारी के द्वारा म.प्र. शासन दर्ज कर दिया गया। जिसकी जानकारी होने पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5338/2019/भितरवार/भू0रा0

श्रीमती गौरीबाई आदि विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–6–2019	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी एवं शासकीय अभिभाषक श्री राजीव शर्मा उपस्थित। उभयपक्ष अभिभाषकों को प्रकरण के समयावधि के बिन्दु पर सुना गया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। इस प्रकरण में कलेक्टर छतरपुर ने अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान शासन की मद की भूमि कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर एवं भिन्न स्याही एवं लिखावट से मध्यपदेश शासन का नाम पृथक कर भूमियां निजी नामों पर दर्ज पाते हुये प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर आदेश दिनांक 30–4–2002 से पुनः शासकीय दर्ज करने के आदेश। कलेक्टर के उक्त आदेश को अपर आयुक्त सागर संभाग ने आदेश दिनांक 8–11–2005 से यथावत रखा। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी दिनांक 30–8–2018 को अर्थात 12 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ परिसीमा अधिकारी की धारा 5 के आवेदन में आवेदकों की ओर प्रश्नाधीन आदेश की जानकारी का दिनांक एवं स्त्रोत अंकित नहीं किया है। 12 वर्ष से अधिक समय का दीर्घकालिक विलम्ब को बिना समाधानकारक कारण के क्षमा नहीं किया जा सकता। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी समयावधि बाह्य होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर0के0 जैन) सदस्य 19.6.2019	